क्रम संख्या–34 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 मार्च, 2023 ई0

चैत्र 06, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 109/XXXVI(3)/2023/16(1)/2023

देहरादून, 27 मार्च, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2023'** पर दिनांक 27 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 03 वर्ष, 2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2023

(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2023)

राज्य की संचित निधि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2023 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2023–24 के लिये रु0774070842000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ– 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 774070842000 **(रुपये सतहत्तर हजार चार सौ सात करोड़ आठ लाख बयालीस हज़ार मात्र)** होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01	विधान सभा	राजस्व :	854073	30301	884374
		पूंजी :	75000	0	75000
02	राज्यपाल	राजस्व :	0	161215	161215
03	मंत्रि परिषद्	राजस्व :	596321	0	596321
		पूंजी :	501000	0	501000
04	न्याय प्रशासन	राजस्व :	4445769	1032346	5478115
		पूंजी :	1720001	0	1720001
05	निर्वाचन	राजस्व :	817088	0	817088
		पूंजी :	2	0	2
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	20712488	36955	20749443
		पूंजी :	11096001	0	11096001
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें	राजस्व :	125481700	63904010	189385710
		पूंजी :	17548006	112276302	129824308
08	आबकारी	राजस्व :	792601	0	792601
		पूंजी :	20000	0	20000
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	178200	1137100	1315300
		पूंजी :	20001	0	20001
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	24957309	0	24957309
		पूंजी :	661500	0	661500
11	शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	99051188	0	99051188
		पूंजी :	5544342	0	5544342
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	37682468	0	37682468
		पूंजी :	4496264	0	4496264
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	11275304	0	11275304
		पूंजी :	13981607	0	13981607
14	सूचना	राजस्व :	1393359	0	1393359
		पूंजी :	10000	0	10000
15	कल्याण योजनायें	राजस्व :	26592737	0	26592737
		पूंजी :	1909714	0	1909714
16	श्रम और रोजगार	राजस्व :	4758651	0	4758651
		पूंजी :	770000	0	770000
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व :	12165676	0	12165676

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
		पूंजी :	775881	0	775881
18	सहकारिता	राजस्व :	1441823	0	1441823
		पूंजी :	2000001	0	2000001
19	ग्राम्य विकास	राजस्व :	14380297	0	14380297
		पूंजी :	18345005	0	18345005
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	5873533	30000	5903533
		पूंजी :	8530707	0	8530707
21	ऊर्जा	राजस्व :	357365	0	357365
		पूंजी :	12156004	0	12156004
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	14322310	113000	14435310
		पूंजी :	13483000	0	13483000
23	उद्योग	राजस्व :	4048913	0	4048913
		पूंजी :	564200	0	564200
24	परिवहन	राजस्व :	1797219	0	1797219
		पूंजी :	2740007	0	2740007
25	खाद्य	राजस्व :	2781177	0	2781177
		पूंजी :	6520001	0	6520001
26	पर्यटन	राजस्व :	1415976	0	1415976
		पूंजी :	1604500	0	1604500
27	वन	राजस्व :	10108590	0	10108590
		पूंजी :	707297	0	707297
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	5521860	0	5521860
		पूंजी :	652500	0	652500
29	औद्यानिक विकास	राजस्व :	5809646	23012	5832658
		पूंजी :	2324000	0	2324000
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व :	16705694	0	16705694
		पूंजी :	4100408	0	4100408
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व :	4689823	0	4689823
		पूंजी :	1460494	0	1460494
	योग	राजस्व :	461009158	66467939	527477097
	योग	पूंजी :	134317443	112276302	246593745
	महा योग		595326601	178744241	774070842

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः–

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
वित्त मंत्री।